I/48110/2023

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय,चंडीगढ़ / **Regional Office, Chandigarh**

सत्यमेव जयते

F.No.:- 9-HRB003/2023-CHA **दिनांक: July, 2023**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ।
(fcforest@hry.nic.in)

विषय: **Diversion of 0.0219 ha of Forest land for access to IOCL Retail Outlet on Naraingarh-Kala Amb road (NH-72) at KM 38.178 (LHS), village Naraingarh, Tehsil Naraingarh, under Forest Division and District Ambala, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/147895/2021)**

संदर्भ: State Government's Stage-I Compliance Letter No. क्रमांक प्रशा-डी-तीन- 10154/584 dated 06.06.2023 received on 09.06.2023.

महोदय**,**

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें**,** जिसमें वन **(**संरक्षण**)** अधिनियम**, 1980** की धारा**- 2** के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है **|** इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **24.03.2023** द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी**,** जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक **(FCA)** व नोडल अधिकारी के पत्र **क्रमांक प्रशा-डी-तीन-** 10154/584 दिनांक **06.06.2023 (**ऑनलाइन पोर्टल**)** द्वारा **09.06.2023** पर प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **0.0219** हैक्टेयर वनभूमि के उपयोग हेतु विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है**-:**

i. वनभूमि की विधिक **परिस्थिति** बदली नहीं जाएगी **|**

ii. काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा|

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वन भूमि ***Laha Sec 4 & 5, Naraingarh Range*** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा **|**

iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए **|**

v. **CEO, State CAMPA,** इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार **CA** वृक्षारोपण के लिए **DFO** को **CAMPA Scheme** के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित **करेंगे |**

बेजनं.24-25, सेक्टर-31 ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**TelNo** :0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

vi. **DFO** अनुमोदित **CA Site** पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित **करेंगे** और **MoEF&CC** की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित **CA Site** को नहीं **बदलेंगे |**

vii. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकीकार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण **(CA)** क्षेत्र की **KML** फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण **(FSI)** के **E-Green Watch** पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी |

viii. यह अनुमति **20** वर्षों के लिए वैध होगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी |

ix. वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

x. जब कभी भी **NPV** की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई **NPV** की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

xi. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि **(Periphery)**पर दिवार से **1.5** मीटर जगह छोड़कर **1.0** से **1.5** मीटर के अन्तराल पर **Light crown** पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।

xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंहुच मार्ग **(Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration)**व विभाजक द्वीप **(Separator Island)** पर भी पौधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा |

xiii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे |

xiv. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसीअन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xv. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xvi. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना केअनुसार किया जायेगा |

xvii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xviii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम **1986,** के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी |

बेजनं.**24-25**, सेक्टर-**31**ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**TelNo :**0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

I/48110/2023 **xix. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019, MoEF&CC.**

xx. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है।***राज्य सरकार वनविभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी*** |

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी **किया जा रहा है|**

Signed by
Raja Ram Singh
Date: 10-07-2023 21:00:15

भवदीय
हस्ता/-
(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।(ramesh.pandey@nic.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpanchkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA Haryana, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (haryanacampa@gmail.com)
5. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Ambala, Haryana. (dfo.amb-hry@nic.in)
6. Indian Oil Corporation Limited (MD), Panipat Divisional Office, Panipat Marketing Complex, Village Baholi, Post Office Panipat Refinery, Distt Panipat (Haryana). (ioclpdo1102@gmail.com)

बेजनं.24-25, सेक्टर-31 ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**TelNo :**0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in